



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032025-261910  
CG-DL-E-25032025-261910

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]  
No. 205]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/ फाल्गुन 30, 1946  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्  
प्रत्याहार आदेश  
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा.सं. 18-05 / 16148-आईएनसी:—समय—समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:—

जबकि, एनएम स्कूल टेकरी गया, जिला गया—824236 (बिहार) बिहार राज्य सरकार तथा बिहार नर्स पंजीकरण परिषद् द्वारा एनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना, बिहार को संबोधित नोटिस संख्या 18-05 / 16148-आईएनसी (57132) दिनांक 09.05.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 09.05.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति एनएम स्कूल टेकरी गया, जिला गया—824236 (बिहार) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, एनएम स्कूल टेकरी गया के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी एनएम स्कूल टेकरी गया ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 07.12.2023 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये कमियां गंभीर हैं जो दर्शाती हैं कि संस्थान एएनएम पाठ्यक्रम चलाने में असमर्थ है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 26.10.2024 से एएनएम स्कूल टेकरी गया, जिला गया-824236 (बिहार) से एएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति बिहार राज्य सरकार के आदेशों के अध्यधीन केवल बिहार राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफिटनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1067/2024-25]

**INDIAN NURSING COUNCIL  
WITHDRAWAL ORDER**

New Delhi, the 10th March, 2025

**F.No. 18-05/16148 -INC:**— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **ANM School Tekari Gaya** situated at - **ANM School Tekari Gaya Bihar, Gaya Distt. Gaya 824236 Bihar** is recognized by State Government of Bihar and Bihar Nurses Registration Council to conduct ANM Course.

Whereas, a notice no. 18-05/16148-INC (57132) dated **09/05/2024** for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to the Principal Secretary (H&FW) Department of Health, Government of Bihar, Vikas Bhawan, New Secretariat, Bihar was issued. Copy of the notice dated 09/05/2024 was also enclosed **ANM School Tekari Gaya** situated at - **ANM School Tekari Gaya Bihar, Gaya Distt. Gaya 824236 Bihar** In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **ANM School Tekari Gaya**. Even the institution **ANM School Tekari Gaya** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 07/12/2023 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run ANM Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 26/10/2024 any person holding a recognized qualification of ANM from **ANM School Tekari Gaya** situated at - **ANM School Tekari Gaya Bihar, Gaya Distt. Gaya 824236 Bihar** shall be entitled to be registered only in the State of Bihar.

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./1067/2024-25]